ब्याज व सूद

आर्थिक व सामाजिक विनाश का कारण

यह सत्य है के इसलाम अपने भीतर ऐसी अंतरराष्ट्रीयता रखता है तथा अपने दामन में ऐसी अंतरराष्ट्रीयतावाद को समाया हुआ है जिस कि नीव पर इस का कानून हर दौर तथा हर क्षेत्र के अनुसार से कार्य के योग्य है।

मानव के जीवन में कई व्यवस्था पाय जाते हैं। समाजी व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था तथा व्यापारिक व्यवस्था आदि। इन सम्पूर्ण व्यवस्थाओं वर्तमान में इसलाम धर्म ने न्याय व इन्साफ पर बनी शासन व सिद्धांत वर्णन किए हैं।

इन सारे व्यवस्थाओं में आर्थिक व्यवस्था व अर्थशास्त्रीय बड़ी महत्वता का योग्य है। वर्तमान दौर में आधुनिक व नवीनतम के कारण से व्यापारिक आचरण व मामलात विश्व स्तर पर विशाल हो चुके हैं।

एक व्यापारी (व्यवसायी) विश्व भर में अपने संबंधित मामलात का एक समय दर्शन कर सकता है तथा एक समय में सारे विश्व कि आर्थिक परिस्थिति तथा व्यावसायिक (कमर्शियल) स्थिति से सूचित हो जाता है।

प्राचीन ज़माने में लेन-देन के लिए इलाक़ेवारी बाजार तथा मण्डियां हुआ करती थीं कियों के इन के साधन सीमित हुआ करते थे, इस कारण से इन का व्यापार भी परिमित श्रेणी पर हुआ करती थी।

किन्तु आज सारे विश्व में इंटरनेट (अन्तराष्ट्रीय कम्प्यूटर तन्त्र) का जाल बिछा हुआ है, जिस के माध्यम से ओंनलाइन बिज़्नस कि सूविधा है।

सारा विश्व एक मण्डी तथा बाजार कि हैसीयत प्राप्त कर गया है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति दुर दराज इलाक़ों से लेन-देन कर सकता है। इस नीव पर करन्सी (मुद्रा व व्यापकता) का पूँजीनिवेश (खिलत) अंतरराष्ट्रीय तौर पर जारी है। अवश्य यह बात व्यापारिक उन्नती के लिए हौसला व प्रोत्साहक तथा प्रसन्नता कि बात है।

सूद समाज व आर्थिनीति के विनाश का कारण

यदि करन्सी (मुद्रा व व्यापकता) कि पूँजीनिवेश बंद हो जाए बंद हो जाएं तो विकास रूक जाता है। व्यापार व कारोबार ठप पड जाती हैं। कारोबार शुष्क बाज़ारी से दो चार हो जाता है। जो समाज के सीमित होने के लक्षण हैं तथा इस से समाज में बिगाड़ जन्म लेता है।

इस रुकावट कि महत्व कारण धन व सम्पत्ति का चंद सदस्य में परिमित हो जाना है तथा इस कारण करन्सी कि गरदिश का रूक जाना है। कहीं ऐसा ना हो के धनी श्रेणी के सदस्य धन समेटता रहे तथा दरिद्र व ग़रीब श्रेणी के सदस्य अपने दरिद्रता व गरीबी व मोहताजी के कारण घूट-घूट कर दम तोड दें।

इस हिकमत व नीति के अनुसार इसलाम ने लेन-देन के लिए श्रेष्ट सूत्र व शासन स्थापित किए, सूद (ब्याज) को स्पष्ट रूप से हराम तथा प्रधान पाप घोषित किया। निसाब वाले सदस्य धनी मुसलमानों पर ज़कात फर्ज़ की गई। अन्य सदखे व खैरात (दान व उपकार) का अनुदेश भी दिया गया।

कुछ कर्म में कोताही (आलस्य) के करने व गलती कि भरपाई के लिए कफ्फारह (प्रतिफल व क्षातिपूरक) धन खर्त करना वाजिब स्थापित किया गया तथा माल-ग़नीमत में पाँचवा भाग स्पष्ट किया गया ताकि इन इसलामी अह्काम के माध्यम धन व दौलत ग़रीब सदस्य कि ओर आए तथा चंद सदस्य में सीमित ना रह जाए।

सूदखोरी के विरूद्ध क़ुरान कि युद्ध कि घोषणा

धन व सम्पत्ति के रुक जाने तथा एक ही क्षेत्र व विभाग में सीमित रह्ने का मह्त्व कारण सूद व ब्याज (कुसीद) है। ब्याज को क़ुरान करीम ने इतना गंभीर पाप स्थापित दिया है के किसी तथा पाप को इतना संगीन पाप स्थापित नहीं दिया।

शराब नोशी (अतिपानता), सुअ़र खाना, बलात्कारी, बदकारी आदि जैसे बडे बडे पापों के सिलसिले में क़ुरान करीम में ऐसी सख्त अनुदेश नहीं आई जो ब्याज के लिए आई है अतः अल्लाह तआ़ला आदेश फरमाया केः-

भाषांतरः- ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो तथा जो कुछ ब्याज बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमानवाले हो। फिर यदि तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह तआ़ला तथा उसके रसूल से युद्ध के लिए सावधान (सचेत) हो जाओ।

(सुरह अल-बक़राः 02:278/279)

अर्थात इन आयात शरीफ में ब्याजखोरी करने वालों के विरूद्ध अल्लाह तआ़ला कि ओर से युद्ध कि घोषणा है।

भला हम कौन ऐसी क्षमता रखते हैं जो अल्लाह तआ़ला से युद्ध कर सके, इस के हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से लडाई कर सके, इतनी कठिन अनुदेश वर्णन करने का उद्देश्य यही है के ब्याज कि लानत से एकसर बाज़ आ जाएं।

इसे घिनौना अपराध तथा विशाल पाप समझें तथा हमेशां हलाल भोजन खाने कि चिन्ता करें। जिस कि बरकतें संसार तथा आखिरत (मरणोत्तर जीवन) में इन कि शामिल हाल रहेंगी। इस लिए के इस तरीक़े को किताब व सून्नत में रवा रखा गया है।

अल्लाह तआ़ला आदेश फरमाया हैः-

भाषांतरः- तथा अल्लाह तआ़ला ने व्यापार (तिजारत) को हलाल किया तथा सूद (ब्याज) को हराम किया है।

(सुरह अल बक़राः 02:275)

ब्याजखोर – क़ियामत के दिन पूछ

ब्याजखोरी ऐसा संगीन पाप है के क़ुरान करीम में बार-बार इसे मना किया गया तथा चेतावनी की गई के यदि इस से दुर ना रहा जाए तो संसार में रूसवाई तथा क़सारह होगा तथा इस के साथ आखिरत (मरणोत्तर जीवन) भी नष्ट हो जाएगी।

जब ब्याजखोर क़ब्र से उठेगा तो इस पर दीवानों के प्रकार दीवांगी प्रभावित रहेगी, जैसे शैतान ने इस पर कोई प्रभाव कर दिया हो, अल्लाह तआ़ला आदेश फरमाता हैः-

भाषांतरः- जो लोग ब्याज खाते हैं, वे बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वह व्यक्ति उठता हैं, जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो।

(सुरह बक़राः 02:275)

इन चेतावियों को सुन्ने के बाद यह ध्यान अवश्य जन्म होगा के रुसवाई (अनादर व अपमान) से किसी प्रकार बचा जाए तथा इन उलझनों से कैसे छुठकारा प्राप्त किया जाए। जीवन में क़ैर व बरकत तथा सफलता कैसे आएगी?

इन सम्पूर्ण प्रश्नों का उत्तर यही होगा के हलाल रोज़ी कि चिन्ता की जाए। अपने आप को ब्याज (सूद) कि लानत से बचाए रखें, अवश्य सफलता हमारा दामन थाम ले गी तथा हर दो जहाँ में हमारा जीवन आन्नद हो जाएगा।

सुरह आले इ़मरान में अल्लाह तआ़ला आदेश फरमाता हैः-

भाषांतरः- ऐ ईमान वालो! बढ़ोत्तरी के ध्येय से ब्याज ना खाओ, जो कई पापों से अधिक हो सकता है। तथा अल्लाह तआ़ला से डरो! ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो।

(सुरह आले इ़मरानः 03:130)

ब्याजखोर- अल्लाह की रहमत से वंचित

इन आयत से हमें यह बात मालूम हो चुकी है के ब्याद हराम खतअ़ है तथा इस का व्यापार घोर पाप है। इस से संबंधित हमें अनेक संख्या में अहादीस शरीफ में अधिक विवरण मिली हैं।

ब्याजखोरी तर्क करने पर पुण्य कि बशारतें भी वारिद हुई हैं। ब्याजखोर सदस्य के अलावा इन के हमनवा, सूदी मामले में शरीक होने वाले सम्पूर्ण सदस्य भी पाप के अपराधी (दोषी) होते हैं तथा अल्लाह के फज़्ल से महरुम रह जाते हैं।

सहीह मुसलिम तथा सुनन इब्न माजह शरीफ में हदीस मुबारक हैः-

भाषांतरः- हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के हज़रत रसुल अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने ब्याज खाने वाले, ब्याज को देने वाले, ब्याजी लिखित प्रमाण कि कार्रवाई करने वाले तथा ब्याज कि गवाही देने वालों पर लानत फरमाई है तथा फरमाया है के सब (पाम में) बराबर है।

(सहीह मुसलिम हदीस संख्याः 2955, सुनन इब्न माजह, हदीस संख्याः 2268)

ब्याजखोरी, बदकारी से घोर अपराध

मनुष्य ब्याज कि लानत को समझ ना सका, इस कि बुराई कि सहीं आशंका ना कर सका, इस ने ना ब्याज कि सामाजी खराबियों के दृष्टि से देखा तथा ना आखिरत के अज़ाब (विपद) को याद किया। कया चीज़ है जो इस कि असावधानी (गफलत व उपेक्षा) का कारण बना?

सामाजिक जीवन में इस का कया हानि व नुकसान है तथा ब्याजखोरी कैसी घोर व गंभीर बुराई है। इस का अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता हैः-

मुसनद इ़माम अहमद में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत अबदुल्लाह बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः- जानते बूझते ब्याज का एक दिरहम (रुपय) खाना 36 बार बलात्कार करनेसे अधिक सख्त है।

(मुसनद इ़माम अहमद बिन हम्बल, हदीस संख्याः 20951)

अधिक मिश्कातुल मसाबीह में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है इन्हों ने फरमाया हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः- ब्याज के 70 दर्जे हैं, इन में सब से नीच दर्जा अपनी माँ के साथ बदकारी करने के बराबर है।

(मिश्कातुल मसाबीह, पः 246, हदीस संख्याः 2826)

अल्लाहु अकबर! ब्याजखोर दुनिया में ऐसे खतरनाक व जोखिमभरा अपराध का दोषी स्थापित पा रहा है तथा स का दामन ऐसे रुसवाकून पाप से मैला हो रहा है जिसे एक हैयादार (लज्जा) व्यक्ति कभी गवारा नहीं कर सकता तथा ऐसी रुसवाई को कभी स्वीकार नहीं करता।

जिस प्रकार कोई मुसलमान अपनी माँ के साथ यह शर्मनाक (निन्दनीय व लज्जित) हरकत करने का ध्यान नहीं कर सकता इसी प्रकार मेलमिलाप तथा भाईचारगी का परिणाम है के आदमी किसी ब्याजी मामला का ध्यान भी ना करे।

ब्याजखोर- नरक के योग्य

ब्याजी लेन-देन करने वाला न केवल संसार में क़सारह (कठिनता) उठा रहा है बल्कि इस कि आखिरत (मरणोत्तर जीवन) भी तारीक हो रही है। इस का ठिकाना नरक में पाता है। ब्याजी (सूदी) लेन-देन तथा हराम खाने के कारण इस का शरीर नरक में जलने का योग्य हो जाता है अतेतः शुअ़बुल इ़मान में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत अबदुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, वह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं के सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः जिस का गोश्त हराम भोजन से निर्माण पाया हो वह नरक (यमलोग व दोज़ख) ही के अधिक योग्य है।

(शुअ़बुल इ़मान लिल बैहखी, हदीस संख्याः 5277)

ब्याज का लेन-देन बाहरी रुप से लाभदायक नज़र आता है किन्तु इस के द्वारा ब्याजखोर कई ऐसी भीतरी बीमारियों में व्यस्त हो जाता है जिस का इ़लाज इस उन्नति (विकसित) दौर में भी किसी डाकटर के पास सम्भव नहीं, उदाहरण इस के भीतर से त्याग व क़ुरबानी कि चिन्ता समाप्त हो जाती है।

सखावत व दानशील (खूब दान करना) का जज़्बा समाप्त हो जाता है तथा इस कि इसलामी महत्वता चली जाती है। इस का परिणाम यह होता है के इसे अपने भाई कि तकलीफ व कठिनता मालूम नहीं होती तथा इस कि मुसीबत व विपत्ति का एहसास नहीं रहता।

यहाँ तक के वह अपने भाई कि दरिद्रता का लाभ उठाते हुए इस का खून चूसने के लिए तैयार हो जाता है। आवश्यकता के समय इसे रक़्म (राशि) तो अवश्य देता है, परन्तु रक़्म कि वापसी के समय इस से अधिक रक़्म प्राप्त कर लेता है इसलाम धर्म ने इन कठिनता कि निन्दा करते हुए ब्याजी व सूदी व्यापार को निषिद्ध घोषित किया।

कर्जदार से उपहास स्वीकार ना करने का आदेश

इसलाम ने ब्याजी व्यवस्था के समाप्त के लिए आपसी सहायता व योगदान का अनुदेश दी है। यदि कोई व्यक्ति को आवश्यकता हो तो इसे बिना सूदी कर्ज (उधार) देने कि शिक्षा दी ताकि ज़रुरतमंद अपनी आवश्यकता के निपुण के बाद कर्ज ली हुई राशि आसानी से वापिस कर सके।

प्रिय शरीअ़त ने इस सिलसिले में अत्यन्त सावधानी प्राप्त फरमाइ हैं। इसलाम ने ब्याज ही नहीं, सूद कि आशंका से भी दुर रहने व परहेज़ करने कि शिक्षा दी, क़र्ज देने वाले को कर्जदार से उपहार लेना या कर्जदार से किसी प्रकार का लाभ उठाना भी सूद कि आशंका स्थापित किया गया तथा इस से बच रहने कि शिक्षा दी।

कियों के यदि इस पर कर्ज चाहे एहसान ना होता तो वह इसे उपहार ना देता। किन्तु इस बात कि सम्भावना रखी गई है के दोनों के बीच यदि --- संबंध थे तथा वह कर्ज के लेन-देन से पूर्व भी उपहार का लिया-दिया करते थे तो इस में समस्या नहीं।

जैसा के सुनन इ़ब्न माजह में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत यहया बिन अबु इसहाख हिनाई रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, इन्हों ने कहा के मैं ने सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से प्रश्न कियाः हम में से जो व्यक्ति अपने किसी भाई को उधार देता है तो कया वह (कर्ज कि वापसी के समय) इसे हदिया (भेंट) स्वीकार ना करें। हाँ! यदि उधार देने से पूर्व इन दोनों में इस प्रकार उपहार का देना-लेना हुआ करता था तो फिर इस कि आज्ञा है।

(सुनन इ़ब्न माजह, हदीस संख्याः 2526)

कर्जदार को मोहलत देने पर पुण्य

यदि कोई कर्जदार दरिद्र व मोहताज हो तो सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इस के साथ नरमी करने तथा इसे मोहलत (प्रतीक्षा काल) देने कि शिक्षा दी है तथा उधार दे कर मोहलत देने वाले को बेहतरीन प्रतिफल एवं पुण्य कि गवाही प्रदान फरमाई है। मुसनद इ़माम अहमद में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सुलैमान बिन बरीदह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, वह अपने पिता से वर्णित करते हैं, इन्हों ने कहा के मैं ने हज़रत रसुल अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को आदेश फरमाते हुए सुनाः- जो व्यक्ति किसी दरिद्र कर्जदार को मोहलत देगा इस को हर दिन इतनी राशि दान करने का पुण्य प्राप्त होगा जितनी राशि इस साहूकार (ऋणदाता) के ज़िम्मे वाजिब (अनिवार्य) है। इन्हों ने कहा फिर मैं सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुनाः

यदि कोई व्यक्ति किसी दरिद्र को मोहलत (समय) देगा तो इस को हर दिन दुगुनी राशि दान करने का पुण्य मिलेगा। सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट करते हुए फरमायाः हर दिन उधार के बराबर राशि दान

करने का पुण्य, उधार कि पुरी किश्त अदा होने से पूर्व मोहलत देने कि प्रतिफल है तथा जब उधार कि अदाइगी का समय समाप्त हो जाए तथा वह व्यक्ति अदा करने पर क्षमता ना रखता हो तो ऐसे समय यदि कोई मोहलत देगा तो इसे हर दिन इस कि दुगुनी राशि प्रदान करने का पुण्य मिलेगा।

(मुसनद इ़माम अहमद, हदीस संख्याः 23748)

सूदखोर- स्वार्थी तथा लालची होता है

सूदखोर अपनी ज़ात से किसी को लाभ पहुंचाना तो दुर कि बात किसी दूसरे व्यक्ति को इस कि कोशिश तथा इस के सरमाया से अपने बराबर होता नहीं देख सकता। वह किसी मुसीबत तथा परेशान परिस्थिति के व्यक्ति पर रहम व दया कर के इस कि सहायता करने के बजाए इस कि मुसीबत व दरिद्रता से नाजाइज़ (अनुचित) लाभ उठाने कि कोशिश करता है।

इस कि रगों से खून निचोडने कि चिन्ता में रहता है तथा इसे सूदखोरी के परिणाम में धन कि लालच व अभिलाषा इस प्रकार अधिक हो जाती है के इसी में मस्त हो कर क़ैर व शर (हित व बुरा), नेकी व बुराई को भी नहीं पहचानता तथा अपने बुरे अंजाम से बिल्कुल असावधानी रहता है।

ज़ाहिरी तौर पर तो वह अपने दिए हुए धन से अधिक राशि प्राप्त करता है किन्तु सच्चाई इस का धन घटता जाता है तथा इस कि सम्पत्ति में कमी सचमुच हो जाती है।

अल्लाह तआ़ला आदेश फरमाता हैः-

भाषांतरः- अल्लाह तआ़ला ब्याज को घटाता तथा मिटाता है।

(सुरह अल बक़रहः 02:276)

किसी के बुद्धि में यह ध्यान आता होगा के आज ब्याजखोर इज्जत व राहत, विश्राम व सुखसाधन में सुगंधित जीवन बिता रहे हैं। वह विशाल बुलंद निर्माण के मालिक हैं। इन के पास ऐश व समृद्धि के सम्पूर्ण तत्व उपलब्ध हैं। इन के लिए खाने-पीने कि उत्तम स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हैं।

रहने बसने के लिए सम्पूर्ण राहत के साधन उपलब्ध हैं। परन्तु थोडा सा ध्यान करने पर हर सदस्य समझ सकता है के राहत के साधन तथा राहत में बहुत बडा अंतर है। राहत के साधन तो फैक्टरियों तथा कारखानों में तैयार किया जाता है तथा बाज़ारों में बेचा गया है।

परन्तु राहत व चैन व सुख ना किसी फैकटरी में तैयार होता है। ना किसी मार्कट तथा शोरूम (प्रदर्शन कक्ष) में बिकता है। तथा ना कोई धनी बहुत अधिक मूल्य केवल कर के इसे खरीद सकता है।

यह तो वह बहुत महंगा दाम तथा विशाल नेअ़मत (उदारता तथा आनुतोषिक) है जो सरकार पाक सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम के त्याग से अल्लाह तअ़ाला के दरबार से दान कि जाती है।

संसार व आखिरत में राहत, जीवन में चैन तथा दिल व मन का विश्राम हमें इसी समय प्राप्त हो सकता है, जब के हम रहमतुलिल आलमीन सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम कि आज्ञापालन में हमेशा व्यस्त हो जाएं।

एक नीन्द कि राहत पर ही ध्यान कीजिए! संसार के बडे-बडे सरमायादार (ठेकदार व उपक्रमी) ऐसी बीसों कम्पनियों (उद्योग) तथा कारखानों के मालिक हैं। जहाँ राहत के साधन व विश्राम तैयार होता है तथा वहीं से बाज़ारों में भैलता है।

परन्तु इन्हें सम्पत्ति के द्वारा राहत व मधुरता नहीं मिल सकती। सूदखोरी कि परिस्थिति देखने से अनुभव होगा के इन के पास सब कुछ मिलेगा किन्तु राहत नाम कि कोई चीज़ एवं वस्तु नहीं प्राप्त होगी।

इस के विरुद्ध एक व्यक्ति गरीबी के पक्ष के नीचे छोटे से घर में अपना जीवन बसर करता है। आवश्यकता के अनुसार कमाता है, विवशता व अवश्यकता के अनुसार इस कि आमदानी (अर्जन) है। शरीअ़त का पालन करता है तथा हलाल भोजन खाता है। चैन व विश्राम से जीता है, तथा राहत व रहमत कि नींद सोता है। इस के हृदय में विश्राम तथा मन में शिथिल प्राप्त रहती है।

अल्लाह तआ़ला से प्रार्थना है के ब्याज कि लानत व विपद से सुरक्षित रखे, इसलामी अहकाम के अनुसार जाइज़ तरीक़े पर व्यापार तथा हलाल तरीक़े पर कारोबार करने वाला बनाएं, हलाल तथा सत्य बोलने का मार्गदर्शन दान फरमाएं।

आमीन...